न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– मुरारी लाल शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
43 / 2021 / प्रा.पत्र / 2021	17.05.2021	29.07.2021

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

...... प्रार्थी

बनाम

1–श्री कुन्ज बिहारी मित्तल पुत्र स्व. श्री देवकी नन्दन मित्तल विक्रेता मैसर्स छगन लाल दुर्गालाल छतरी चौराहे के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 7 घोषी मोहल्ला जिला टोक राज0
2–श्रीमति सुगन मित्तल पत्नि श्री कुन्ज बिहारी मित्तल प्रोपरायटर मैसर्स छगन लाल दुर्गालाल छतरी चौराहे के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 7 घोषी मोहल्ला जिला टोक राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–
1–प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थीगण उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 29.07.2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 28.12.2020 को समय 2.41 पी.एम पर वारते निरीक्षण मैसर्स छगन लाल दुर्गालाल छतरी चौराहे के पास देवली जिला टोंक राज0पर पहुंचां। विक्रेता की हैसियत से कुन्ज बिहारी मित्तल पुत्र स्व. श्री देवकी नन्दन मित्तल विक्रेता मैसर्स छगन लाल दुर्गालाल छतरी चौराहे के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 7 घोषी मोहल्ला जिला टोक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का विक्रेता होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र दिखाया जो अवधिपार हो चुका था एंव उक्त फर्म का प्रोपरायटर श्रीमति सुगन मित्तल को होना बताया जिनके पास खाद्य अनुज्ञा पत्र होना जाहिर किया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण [illegible] आम जनता को विक्रय हेतु दुकान मे शहद खुला (Honey Loose) रखा हुआ था [illegible] निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:01:59 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

होने पर विकता श्री कुन्ज बिहारी मित्तलं को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता कुन्ज बिहारी मित्तल एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान मे प्लास्टिक की एक बोतल मे 3.2 किलोग्राम **शहद खुला** (Honey Loose) रखे हुये मे से को खुलकर 1 किलोग्राम को ज्यो का त्यो नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत विकता. श्री कुन्ज बिहारी मित्तल को रू0 280/–अक्षरे दौ सो अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **शहद खुला** (Honey Loose) 1 किलोग्राम को बाट मापक इलेक्ट्रोनिक मशीन से 250–250 ग्राम तुलवाकर नियमानुसार प्लास्टिक की साफ व सूखी चार शिशियो मे बराबर–बराबर (प्रत्येक शिशी मे 250–250 ग्राम) प्रत्येक शिशी के ढक्कन को अच्छी तरह एयरटाईट बंद कर नियमानुसार चार भाग कर तैयार कर एंव चारो नमूना भागो के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–2747 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–2747 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता. कुन्ज बिहारी मित्तल के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर करखाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./2021/170 दिनांक 18.01.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/2548/एक्ट/2020/90 दिनांक 11.01.2021 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 19.04.2021 अनुसार कुन्ज बिहारी मित्तल से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया **शहद खुला** (Honey Loose) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:01:59 IST
Reason: SelfAttested

1200

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Scanned by CamScanner

2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(i) (zz) (v), 3(i) (zz) (vii)& 3(i) (zz) (xi) के अनुसार **असुरक्षित** (Un-safe) व **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का **शहद खुला** (Honey Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **शहद खुला** (Honey Loose) का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **शहद खुला** (Honey Loose) का नमूना जांच में **अवमानक** (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री कुन्ज बिहारी मित्तल पुत्र स्व. श्री देवकी नन्दन मित्तल विक्रेता मैसर्स छगन लाल दुर्गालाल छतरी चौराहे के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 7 घोषी मोहल्ला जिला टोक राज0पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) अप्रार्थी श्रीमति सुमन मित्तल पत्नि श्री कुन्ज बिहारी मित्तल प्रोपरायटर मैसर्स छगन लाल दुर्गालाल छतरी चौराहे के पास देवली जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं. 7 घोषी मोहल्ला जिला टोक राज0पर शास्ति 15,000 (अक्षरे पन्द्रह हजार रू0) आरोपित की जाती है।अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 29.07.2021 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(मुरारी लाल शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2021.08.26 12:01:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner